

II

(90)

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट (रिवेट) दिया जाना है।

01. भगवानपुर ग्रामोदय सं० सं० मिल०, सुगौना, मधुबनी को वर्ष 2015-16 का कुल उत्पादन 47.29 लाख (सैंतालीस लाख उन्तीस हजार रुपये) है। उत्पादन के आधार पर समिति को 10% रिवेट की राशि 4,72,898 (चार लाख बहत्तर हजार आठ सौ अन्धानवें) रुपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

02. समिति को बैंक खाता में मो० 3,78,318.00 (तीन लाख अठहत्तर हजार तीन सौ अठारह) रुपये का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से करेंगे।

03. उक्त राशि का भुगतान समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिवेट की राशि Chartered Accountant से सत्यापित कराया गया है। जिसे खादी बोर्ड के P.M.A (Grant Thornton India LLP) द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 58/233 दिनांक 13/07/2018 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, (ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) बिहार राज्य
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि खादी बोर्ड द्वारा समिति पर बकाये खादी ऋण मद में राशि का 20% राशि रिवेट दावा की राशि से रू० 94,580.00 (चौरानवें हजार पाँच सौ अस्सी) रुपये मात्र कटौती की गई है जिसका समायोजन करेंगे। कटौती की गई राशि को खादी बोर्ड के खाता में जमा करेंगे।

ज्ञापांक

58/233

पटना, दिनांक

13/07/2018

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे तथा बिहार स्टेट खादी एण्ड मिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, पटना के नाम से रेखांकित चेक के माध्यम से समिति का खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि का भुगतान करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

12/7/18

ज्ञापांक

58/233

पटना, दिनांक

13/07/2018

प्रतिलिपि :- मंत्री, समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर समिति की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का समिति से वसूलनीय होगी।

12-07-18

12/07/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

12/7/18